

## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, की धारा 19ए के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2015-20 की अवधि में 'राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

